वर्ष 4, अंक 63

राष्ट्र महिला

जनवरी 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हिन्दू महिलाओं को (जिनमें जैन, बौद्ध और सिख भी शामिल हैं) पुश्तैनी संपत्ति में बराबर की सहभागिता देने के प्रयोजन से भारत सरकार का हिन्दू उत्तराधिकार अधि नियम, 1956 में संशोधन करने का निर्णय महिलाओं के सशक्तिकरण और लिंग समानता लाने की दिशा में एक सही कदम है। मिताक्षर कानून के अंतर्गत, पुश्तैनी संपत्ति के मामले में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नही हैं। प्रस्तावित संशोधन से यह विसंगति दूर होगी और तत्संबंधी कानून देश भर में एक समान हो जायेगा। जब तक पुश्तैनी संपत्ति में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव करने वाला कानून मौजूद है, जिसके कारण कि महिलाओं को पुरूषों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, तब तक देश में महिलाओं को सशक्तिकृत करने वाला कोई भी आंदोलन सफल नही हो सकता।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के वर्तमान स्वरूप से संयुक्त हिन्दू परिवार में पैतृक उत्तराधिकार श्रृंखला पुष्ट होती है अर्थात पुश्तैनी संपत्ति में पुत्री को मात्र लिंग के आधार पर सहभागिता के अधिकार से वंचित होना पड़ता है।

किन्तु कुछ अग्रगामी राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र पहले ही पुत्रियों को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का अधिकार दे चुके हैं। केरल में जहां नायर समुदाय में मातृक प्रथा प्रचलित है, संपत्ति का अंतरण पुत्रियों की प्रंखला से होता है।

इस कानून को संशोधित करने का निर्णय लेने के पश्चात् अब सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि इसे संसद में यथासंभव शीध पारित कराया जाये। इसके क्रियान्वित होने पर, महिलाओ के प्रति होने वाले अपराधों, विशेषकर दहेज अपराधों, में भी कमी आयेगी। अपना अधिकार मांगने वाली महिलाओं पर कुपित न होकर समाज को उनका समर्थन करना चाहिए।

समाज में महिलाओं का योगदान पुरूषों से कम नही है और उनके लिए समानता का प्रश्न तथाकित कमजोर महिलाओं को समता प्रदान करना न होकर, भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर ले जाने का एक कदम है। सरकार को प्रस्तावित संशोधनों को मूर्तरूप देकर अतीत काल से महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय को दूर करना चाहिए।

महिला पीड़ितों का चार्टर

"अपराध पीड़ित महिलाओं का चार्टर" विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एक सेमिनार का हाल ही में समाज विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ने उद्घाटन भाषण दिया। अन्य वक्ता थे प्रो. चोखालिंगम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष प्रो. एडमंड वैलर।

चर्चा में **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम**

मुख्य भाषण देते हुए, न्यायमूर्ति मलीमठ ने पीड़ित के हितों के रक्षार्थ अनेक सुझाव दिए। वर्तमान अपराधिक प्रणाली में, आरोपी की सभी बात का ध्यान रखा जाता है जब कि पीड़ितों को शीध्र भुला दिया जाता है। इसलिए एक चार्टर तैयार करने की आवश्यकता है ताकि पीड़ित को पर्याप्त परिरक्षण प्रदान किए जा सकें। उन्होने कहा कि आरोपी पर चाहे मुकदमा चल रहा हो या उसे सज़ा मिल चुकी हो, पीड़ित महिला को अंतरिम मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।

भारत में यौन उत्पीड़ित महिलाओं को हिकारत की नजर से देखा जाता है, भले ही वे परिस्थितियों का शिकार क्यों न हों। इसलिए वे बहुधा अपनी शिकायत दर्ज नही करातीं। आरोपी के बरी होने पर, पीड़ित महिला को न्यायलय के फैसले के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिए। जमानत के मामलों में, पीड़ित की सुनवाई नही होती। फिर, सरकार बदलने के साथ मामले वापस ले लिए जाते हैं। आरोपियों द्वारा बहुधा पीड़ितों अथवा साक्षियों को धमकियाँ दी जाती है। पीड़ित के साथ थाने पर शिष्टाचार का व्यवहार होना चाहिए और उसे उचित डाक्टरी चिकित्सा भी प्रदान कराई जानी चाहिएं। इसके लिए आपराधिक न्याय प्रणली तथा पीड़ित का इलाज करने वाले डाक्टरों को संवेदीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

साहस का प्रतीक

जब लड़के के पिता ने दहेज़ की मांग की तो राजस्थान की हेमलता ने लड़के से विवाह करने से इनकार कर दिया। इस घटना को राज्य में धीरे-धीरे बदलती हुई हवा के रूप में देखा जा रहा है, यद्यपि वहां महिला साक्षरता बहुत कम है।

अजमेर के एक प्रख्यात कॉलिज की स्नातिका हेमलता ने उस समय दिनेश से विवाह करने से इनकार कर दिया जब उसके पिता ने हेमलता के पिता से 2 लाख रूपये और मारूति गाड़ी की मांग की। जब उसका पिता दुल्हन के परिवार के साथ सौदेबाजी कर रहा था तो दिनेश एक मूक दर्शक बना रहा। हेमलता को जब इस अनुचित मांग की जानकारी हुई तो उसने दूल्हे से वापस जाने को कहा क्योंकि वह इतने विचारहीन और दुराग्रही परिवार में विवाह नहीं करना चाहती।

बाद में हेमलता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया और जमानत पर छोड़ा।

राष्ट्रपति कलाम का कल की महिलाओं को संबोधन

यहां एकत्रित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अच्छा समाचार है । और, अच्छा समाचार यह है कि वे इस बात से अवगत नही हैं कि वे कितने बड़े हो सकते हैं। यह मंत्रणा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से उस समय आयी जब वह दिल्ली के स्कूलों की 600 छात्रों को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित ''कल की महिलाओं पर दूरदृष्टि'' विषय पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें दो महिलाओं से प्रेरणा मिली हैं, उनकी माता तथा कर्नाटक संगीत गायिका सुश्री एम.एस.सुब्बालक्ष्मी। उन्होने कहा कि उनकी मा प्रेम, करूणा और साधु प्रकृति से ओतप्रोत थीं और सुश्री सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की जननी थीं।

इस धारणा को अस्वीकार करते हुए कि महिलाएं 'प्रतिकूल' स्थिति में हैं, राष्ट्रपति ने कहा कि पुरूष प्रतिकूल स्थिति में हैं क्योंकि महिलाएं सभी क्षेत्रों में उनसे आगे निकल गयी हैं।

विचार आदान-प्रदान सत्र में श्री कलाम को छात्राओं के प्रश्नों की बौछार का सामना करना पड़ा जिन्होने महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों तथा कानून के रखवालों द्वारा उनकी रक्षा किए जाने की असफलता पर चिंता व्यक्त की।

राष्ट्रपति ने कहा कि ''अकेले कानूनों द्वारा देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। एक अच्छे मानव का विकास करने की आवश्यकता है और विकास का प्रारंभ घर से होता है। इसे सिखाया नहीं जा सकता।'' महिलाओं के प्रति लगातार भेदभाव के बारे में पूछे गेय एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार को कानूनों का क्रियान्वयन आश्वस्त करना चाहिए। अपने सपनों को साकार करने में महिलाओं के सम्मुख आने वाली बाधाओं के बारे में उन्होने कहा कि यदि वे कठिन परिश्रम करें तो अपने स्वप्न साकार कर सकती हैं।

लड़कियों के प्रति सामाजिक भेदभाव पर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होने कहा कि इसका कारण यह है कि पुरानी पीढ़ी पढ़ी-लिखी नही थी और पुरानी परम्पराओं में विश्वास करती थी, किन्तु आशा व्यक्त कि जब आज के विद्यार्थी बड़े होकर मा-बाप बनेंगे तो यह समस्या समाप्त हो जायेगीं। ईमानदार जीवन व्यतीत करने पर शपथ दिलाते हुए श्री कलाम ने छात्रों से साक्षरता फैलाने, पर्यावरण का ख्याल रखने और शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ लोंगों की पर्वाह करने को कहा।

राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन करते हुए। सामने डा. पूर्णिमा आडवाणी

राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ

राष्ट्रपति से प्रश्न पूछता हुआ स्कूल का एक बच्चा

यह पूछे जाने पर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या नगण्य क्यों है, डा. कलाम ने कहा :''देश में विज्ञान के विकास में महिलाओं के भाग लेने की बहुत गुंजाइश है'' और महिलाओं को वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए।

इससे पूर्व, अपने आरंभिक भाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. आडवाणी ने राष्ट्रपति का ध्यान महिलाओं पर होने वाले अपराधों तथा उनके प्रति किए जाने वाले भेदभाव की ओर आकर्षित किया और धटते हुए महिला लिंग अनुपात का उदाहरण दिया। राष्ट्रपति ने आयोग के कई प्रकाशनों का विमोचन किया।

सदस्यों के दौरे

● सदस्या बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित दलित महिलाओं पर एक दो-दिवसीस राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया जिसका आयोजन मुंबई में अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में नियोजित महिला कर्मचारियों को भी उन्होंने संबोधित किया।

11-16 जनवरी के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित समिति की सदस्या के रूप में गुजरात का दौरा किया। इस समिति की स्थापना गुजरात के दंगों के परिणामों का जायजा लेने के लिए की गयी थी। समिति की अन्य सदस्य थीं सुश्री नफीसा हुसेन और सुश्री निर्मला सीतारामन। समिति अहमदाबाद तथा साबर कंठा, मेहसाना और गोधरा जिलों में गयी तथा दंगा प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास और राहत कार्यों पर वहां के कलेक्टरों एवं अधिकारियों के साथ बैठकें की। गुजरात के मुख्य सचिव, गृह सचिव, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के साथ 15 जनवरी को समिति ने एक बैठक की। उसी दिन समिति ने पुलिस महानिदेशक, महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी कक्ष के प्रभारी महानिरीक्षक तथा जेल महानिरीक्षक के साथ बैठक की। बाद में समिति महिला और बाल विकास मंत्री से मिली। 16 जनवरी को समिति ने गैर सरकारी संगठनों 'सेवा' और 'आवाज़' के साथ एक बैठक की तथा दंगों से प्रभावित महिलाओं से बात की।

सरपंचों की कार्यशाला में (बायें से) डा. स्नेह पालनितकर, श्री एस.एस.हुसेन, सुश्री बेबी रानी मौर्य, श्री सूरज भान, डा. जे.बी.मोदी, श्री आर.एस. चौहान, श्री रामनाथ झा

● सदस्या डा. सुधा गलैया ने अध्यक्षा के साथ 27 दिसंबर, 2004 को दिल्ली की लिंगभेद समीक्षा बैठक में भाग लिया और हरियाणा एवं पंजाब की लिंगभेद समीक्षा बैठकों में भाग लेने चंडीगढ़ गयीं। डा. मलैया ने इंदौर में महाराजा यशवंत राव अस्पताल के महिला वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने इस वार्ड में अधिक नर्सिंग स्टाफ नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। इस समय वहां दो प्रसव-पूर्व और एक शल्य-चिकित्सा वार्ड के लिए केवल एक नर्स थी।

उन्होंने 5.1.2005 को इंदौर सेंट्रल जेल का मुआइना किया और 6.1.2005 को महिलाओं पर हिंसा विषय पर एक जन सुनवाई में भाग लिया। उन्होंने इन्दौर के एस.पी. से बाज़ार में छात्राओं पर चल रहे अश्लील सी.डी. को जब्त करने को कहा।

महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर में डा. सुधा मलैया एक डाक्टर से बातचीत करते हुए

धार में डा. मलैया ने जिला अस्पताल और जिला जेल का मुआइना किया और धार के जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की।

7 जनवरी, 2005 को उन्होंने धार की महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायी ग्रुपों से व वार्तालाप किया। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायी ग्रुपों को भी वही सुविधाएं प्रदान की जानी

स्कूलों में भ्रूण-हत्या विरोधी जानकारी

राष्ट्रीय महिला आयोजन ने नारी भ्रूण-हत्या पर एक पुस्तिका निकाली है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जरिए स्कूली बच्चों को वितरित की जायेगी।

इस पुस्तक में ''नारियों के जन्मपूर्व समापन'' की भयावहता को केन्द्रबिंदु बना कर मार्गनिर्देश दिए गये हैं और इसे केन्द्र सरकार के अंतर्गत चल रहे नवोदय तथा केन्द्रीय विद्यालयों एवं तिब्बती स्कूल के कक्षा आठ से दस तक में वितरित किया जायेगा ताकि ये विद्यार्थी इस निकृष्ट प्रथा के बारे में जान सकें।

मातृत्व काल की छुट्टी बढ़ाई गयी

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों की मातृत्व छुट्टी की अवधि 120 दिन से बढ़ाकर 135 दिन कर दी है और पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देना स्वीकार किया है। ये दोनों छुट्टियां केवल दो बच्चों के जन्म पर दी जायेंगी।

आरक्षण विधेयक पर महिला सांसदों को आयोग का पत्र

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी महिला सांसदों को पत्र लिखकर अपील की है कि संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराया जाये।

आयोग ने विदेश मंत्रालय में कक्ष की स्थापना की मांग की

अ-निवासी भारतीयों द्वारा अपनी भारतीय पत्नियों को, विशेषकर पंजाब में, छोड़ने के बढ़ते हुए मामलों की दृष्टि में आयोग ने चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार से इन मामलों को देखने के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष कक्ष स्थापित करने का आग्रह किया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

यौन अपराध के मामले की सुनवाई महिला या पुरुष कोई भी न्यायाधीश कर सकता है: उच्चतम न्यायालय

● एक बड़े निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने ठहराया कि किसी मामले का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में इस आधार पर तबादला नहीं किया जा सकता कि यौन अपराध से संबंधित किसी मामले की सुनवाई महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाना उसके लिए परेशानीभरा होगा।

दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रकार का मामला सुने और उस पर अपना निर्णय दे, चाहे न्यायाधीश महिला हो अथवा पुरुष।

''अवैध'' पत्नी को भी भरण-पोषण का हक है : उच्चतम न्यायालय

● एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अवैध दूसरे विवाह के मामले में भी, पति द्वारा छोड़ दिए जाने पर पत्नी भरण-पोषण की हकदार है।

यह ठहराते हुए कि चाहे विवाह को ''निरस्त और शून्य'' भी घोषित कर दिया गया हो तो भी भरण-पोषण दिया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 द्वारा अदालतों को अधिकार दिया गया है कि विवाह-विच्छेद की ''किसी भी प्रकार की डिक्री'' पास करते समय उनके द्वारा भरण-पोषण दिया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि धारा 25 एक सामर्थ्यकारी प्रावधान है जिससे आर्थिक रूप से निर्भर पत्नी को बेसहारा होने से न्यायालय बचा सकता है। इसके द्वारा न्यायालय को किसी वैवाहिक विवाद के मामले में पत्नी/पति से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जिनके आधार पर स्थायी निर्वाह-व्यय अथवा भरण-पोषण दिए जाने की बात तय की जा सके।

पत्नी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाने पर निर्वाह-व्यय नहीं मिलेगा

● यदि किसी महिला ने अपने भावी पति से ऐसे तथ्य छुपाए हैं जैसे उसका पहला विवाह, गर्भधारण न कर सकना, सहवास में अरुचि, कोढ़ जैसा असाध्य रोग, मानसिक रुग्णता अथवा रतिज रोग, तो वह निर्वाह-व्यय की हकदार नहीं होगी।

यह निर्णय बंबई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिया गया था जिसमें नौ वर्ष पूर्व विवाहित महिला को निर्वाह-व्यय से इस आधार पर वंचित किया गया कि उसने अपनी मिर्गी की बीमारी छुपाई थी। खंड पीठ ने कहा यद्यपि कानून में पत्नी को निर्वाह-व्यय देने का प्रावधान है, तथापि उसके व्यवहार ने न्यायालय को उसे निर्वाह-व्यय दिए जाने से रोका।

पत्नी को पीटने वालों को अधिक कठोर दंड

● घरेलू हिंसा विधेयक, 2002 के स्थान पर, जो व्यपगत हो गया था, यू.पी.ए. सरकार एक नये विधेयक पर कार्य कर रही है जिसमें जेल और जुर्माने की सज़ा के अतिरिक्त न्यायालयों को यह अधिकार भी दिया गया है कि पत्नी की पिटाई करने वाले पति को उस घर से निकाल कर बाहर किया जा सकता है जिसमें पति-पत्नी साथ-साथ रह रहे हैं। नये मसौदे में एक सुरक्षा आदेश का प्रावधान हैं जिसके अनुसार कदाचारी पति को घर में न घुसने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। मामले की प्रकृति के अनुसार, न्यायालय ऐसे पुरुष को अपने लिए दूसरा आवास खोजने और पीड़ित को उसी आवास में रहने देने अथवा उसे अलग आवास के लिए किराया देने का आदेश भी दे सकता है। न्यायालय उससे अपनी पत्नी का 'स्त्रीधन' या अन्य संपत्ति, जिसकी वह साथ में रहने पर अकेले या संयुक्त रूप से हकदार थी, लौटाने को कह सकता है।

चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती हैं और धार के शहरी जिला प्राधिकारी से कहा कि यह मामला वह उद्योग विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग के साथ उठाएं।

वह राऊ, इंदौर, में तैयार वस्त्र निर्माण करने वाली इन्दिरा एक्पोर्ट प्राइवेट लि. नामक कंपनी भी गयी, जहां 100 से अधिक महिलाएं काम करती थीं और दवाएं बनाने वाली 'पेटिको' नाम की कंपनी देखी। उन्होंने औद्योगिक निगम के जनरल मैनेजर से मंगलिया गांव के स्वयं सहायी ग्रुपों द्वारा निर्मित की जाने वाले डिपोजेबल ग्लास, जूतों के कवर और टोपों की आवश्यकता का पता लगाने को कहा और सलाह दी कि स्वयं सहायी ग्रुपों तथा उद्योग के बीच शृंखला स्थापित करें। 7 जनवरी को वह देवास जिले में स्थित रेनबेक्सी लि. देखने गयीं।

भ्रूण-हत्या के विरुद्ध निगरानी कक्ष

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भ्रूण-हत्या रोकने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय निगरानी कक्ष स्थापित करने का विचार कर रहा है। यह कक्ष प्रसव-पूर्व लिंग परीक्षण से संबंधित कानूनों के अनुपालन पर निगरानी रखेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''महिलाओं के प्रति हिंसा: स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य'' का विमोचन करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. ए. रामदास ने कहा कि इस कक्ष का प्रभार किसी अवकाश-प्राप्त पुलिस अधिकारी को सौंपे जाने का प्रस्ताव है और यह कक्ष हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों पर विशेष रूप से निगाह रखेगा। इसके अतिरिक्त, अवैध परीक्षणों को रोकने के लिए यह कक्ष धावा मारने के लिए भी प्राधिकृत किया जायेगा।

सरकार प्रसव-पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में सख्ती बरतने के तरीकों पर भी विचार कर रही है जिनमें से एक यह हो सकता है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले केन्द्रों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाये। यह उन राज्यों के बारे में विशेष रूप से सच है जहां दो बच्चों का मापदंड लागू है जिसके परिणामस्वरूप वहां भ्रूण-हत्या तथा बालिका-हत्या के मामले बढ़ गये हैं, श्री रामदास ने कहा।

दूसरा तरीका होगा लिंग-परीक्षक क्लिनिकों पर निगरानी और अल्ट्रा सांउड मशीनों को सप्लाई करने वालों का पंजीकरण करना।

यह भारत है

माईथान (झारखंड) के मुंडाधोडा में हाल ही में एक आठ वर्षीय लड़की का विवाह एक कुत्ते के साथ किया गया जिसमें दहेज़ के रूप में 22,000 रु. नकद, एक रंगीन टेलीविजन,पलंग तथा अन्य घरेलू सामान दिया गया। यह 'दुर्भाग्य टालने' के लिए किया गया था क्योंकि लड़की के ऊपरी जबड़े पर दांत आये थे जो उस सम्प्रदाय में अशुभ माना जाता है। लड़की के पिता का कहना था: ''यदि हमने यह न किया होता, तो समस्त परिवार पर भारी मुसीबत आ पड़ती।''

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन